न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 31/2016 (उदयपुर डिक्री)

जवानलाल पिता रूपा जी मेघवाल, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

..... अपीलान्ट

बनाम

1. सहायक वन संरक्षक, वन विभाग गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा प्रकरण संख्या 50/2012 दिनांक 15.07.2015

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट

2. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय **दिनांक 24–01–2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मजाम तहसील गोगुन्दा में वादी के निजी स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 1 रकबा 150 बीघा 3 बिस्वा हाल आराजी नंबर 1/1 रकबा 24.4900 हैक्टर में से 5 बीघा भूमि पर वादी के पिता रूपा वल्द घीसा का 21–07–1977 से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि उसे नसबन्दी ऑपरेशन के एवज में राज्य सरकार द्वारा आवंटित की जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया है, जिसका नामान्तरकरण संख्या 247 खोला जाकर जमाबन्दी संवत् 2030 से 2033 में अमल दरामद किया गया है, किन्तु सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने इसे नजर अंदाज कर भूमि पुनः बिलानाम सरकार अंकित कर दी जो बाद में वन विभाग के नाम कर दी गयी। वादी का अपने पिता के समय से सन् 1977 से निरन्तर कब्जा होने से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वादी खातेदार हो चुके हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आराजी नंबर 1/1 रकबा 24.4900 हैक्टर में आवंटित 5 बीघा भूमि, जिस

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:28 IST
Reason: SelfAttested

पर वादी का वास्तविक कब्जा है, का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 15–07–2015 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–04–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में दिनांक 11–06–2016 की पेशी नियत थी, किन्तु अपीलान्ट को बिना सूचना दिये उससे पूर्व ही दिनांक 15–07–2015 को निर्णय पारित कर दिया गया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 14–03–2016 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए अपीलान्ट को बिना सुने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर वाद खारिज करने में भूमि की है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का अपने पिता के समय से दिनांक 21–07–1977 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा उसके पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत होकर राजस्व रेकार्ड में भी अमल दरामद किया गया, किन्तु बाद में सेटलमेन्ट के दौरान बिना किसी अधिकार के उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गयी, जो बाद में वन विभाग के नाम दर्ज कर दी गयी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:28 IST
Reason: SelfAttested

कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15–07–2015 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि ''वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत बनाये प्रावधानों के अनुसार वन भूमि किसी भी व्यक्ति या संस्था को आवंटित नहीं की जा सकती। वादी का अगर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा है तो वनाधिकार के तहत दावा पेश कर दाद प्राप्त कर सकता है।'' अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त आधारों पर अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–07–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:28 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर.ए.एस.** .....

जवानलाल पिता रूपा जी मेघवाल, नि0 गोगुन्दा, तह0 गोगुन्दा, जिला उदयपुर बनाम **सहायक वन संरक्षक, वन विभाग गोगुन्दा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**31/2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत.....**उपखण्ड अधिकारी** .....**गोगुन्दा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**15**.....माह.....**07**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**24**...माह.....**01**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री हनुमान प्रसाद शर्मा**... मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कमलेश चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–07–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**24**.....माह.....**01**.....**2023** को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट		रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा 3. इजराय हुक्मनामा . 4. वकील फीस बाबत ...				1. स्टाम्प वकालत नामा 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.....		
मीजान				मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:28 IST
Reason: SelfAttested